



UPSI010037622026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0(ओ0ए0डब्लू0), सीतापुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-691 / 2026

CIS No.1630/2026

हरीश पुत्र पुत्तू पासी निवासी ग्राम कुतुबनगर थाना पिसावों जिला सीतापुर।

.....अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य

.....अभियोगी / विपक्षी

मु0अ0सं0-317 / 2010

सत्र परीक्षण सं0-537 / 2026

अन्तर्गत धारा-363, 366, 376

भा0दं0सं0

थाना पिसावों जिला सीतापुर

निस्तारण जमानत प्रार्थना-पत्र

मु0अ0सं0-317 / 2010, सत्र परीक्षण सं0-537 / 2026, अन्तर्गत धारा-363, 366, 376 भा0दं0सं0 थाना पिसावों जिला सीतापुर से सम्बन्धित अभियुक्त हरीश की ओर से प्रस्तुत किए गए द्वितीय जमानत प्रार्थना-पत्र पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

अभियुक्त के जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ शपथकर्ता पुत्तू द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो इस न्यायालय के समक्ष और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में दिया गया है और न ही विचाराधीन है और न निरस्त हुआ है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत के सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। अभियुक्त ता0पेशी भूल गया था, जिसके कारण अभियुक्त का वारण्ट हो गया। अभियुक्त ने जानबूझ कर कोई गलती नहीं की है। अभियुक्त दिनांक 07-04-2026 से उक्त वाद में जेल में निरुद्ध है। अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद बराबर प्रत्येक पेशी पर उपस्थित आता रहेगा और विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त का प्रथम

जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 20-11-2010 को माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकार किया गया था और वह जमानत पर रिहा हुआ था। अभियुक्त के उपस्थित न आने पर उसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा जमानती व गैर जमानती वारण्ट जारी करने के आदेश पारित किये गये। न्यायालय द्वारा जारी वारण्ट पर दिनांक 07-04-2026 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा गया है। तब से अभियुक्त जेल में निरुद्ध है। अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि वह भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं करेगा तथा न्यायालय उपस्थित आता रहेगा। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त हरीश की ओर से मु0अ0सं0-317/2010, सत्र परीक्षण सं0-537/2026, अन्तर्गत धारा-363, 366, 376 भा0दं0सं0 थाना पिसावों जिला सीतापुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 1,00,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अनुसार उसे जमानत पर रिहा किया जाये:-

- 1-अभियुक्त साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।
- 2-अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण पर दबाव नहीं बनायेगा तथा मुकदमें के परीक्षण में सहयोग करेगा।
- 3-जब तक कि अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी विचारण न्यायालय द्वारा माफ नहीं की जायेगी, वह प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

दिनांक-16.06.2026

(दिनेश कुमार नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0(ओ0ए0डब्लू0)
सीतापुर
JO CODE UP2760